

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक ३ / ३ / 2015

संख्या-2/VRS-15/2014- 291(2)/स्वा०, डा० विश्वरंजन दास, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्द्रायण, नवहट्टा, सहरसा को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम 74(बी.) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 वि० दिनांक 27.04. 1979 में निहित अनुदेशों के आलोक में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(स्वयम्भू प्रिय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/VRS-15/2014- 291(2)

पटना, दिनांक ३ / ३ / 2015


प्रतिलिपि, अवर सचिव, वित्त (मुद्रणालय शाखा) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, सिविल सर्जन, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा / डा० विश्वरंजन दास, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चन्द्रायण, नवहट्टा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, एवं 9 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ तथा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव